निर्णय बईजलास श्री निकया गोहाएन आई0ए0एस0 जिला कलक्टर,झालावाड़

मि0न0 15/प्रा0पत्र/20

उनवान प्रा0पत्र

राज0सरकार जर्ये जिला रसद अधिकारी एवं प्रवर्तन निरीक्षक,रसद विभाग झालावाड़

बनाम

योगेश भाटिया

निवासी नई जेल रोड़ हाउसिंह बोर्ड, मकान न0 2–सी–2,झालावाड़

प्रा0पत्र धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 के तहत जब्त 19 घरेलू गैस सिलेण्डर व 02 गैस भरने की मोटर को राजसात करने बाबत।

उपस्थितः– पेरोकार रसद
अप्रार्थी स्वंय

–: निर्णय :–

दिनांक: 08.09.2020

यह प्रा0पत्र जिला रसद अधिकारी एवं प्रवर्तन निरीक्षक,रसद विभाग झालावाड़ द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत पेश किया गया है। अपने प्रा0पत्र मेंमों में अंकन किया है कि घरेलू गैस की अवैध रिफलिंग रोकने के लिये दिनांक 20.02.2020 को जिला रसद अधिकारी,प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय झालावाड़ जांच हेतु पहुंचे। मौके पर योगेश भाटिया उपस्थित मिले जिन्होंने स्वंय को मकान मालिक का पुत्र बताया। वक्त जांच तलाशी लेने पर 19 घरेलू एलपीजी सिलेण्डर एचपीसीएल क0 व 02 गैस भरने की मोटर पाई गई। 19 घरेलू एलपीजी सिलेण्डर एचपीसीएल क0 व 02 गैस भरने की मोटर को राजसात किया जाकर मैसर्स झालावाड़ एचपी गैस सर्विस,झालावाड़ के मैनेजर अब्दुल सलीम की सुपुर्दगी में दिया गया। जांच से स्पष्ट है कि अनुदानित घरेलू गैस का अवैध व्यवसायिक उपयोग करके LPG(REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लाज 3(1) (सी), 4(1)(ए) की स्पष्ट अवहेलना की है। आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 की धारा 6 ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जप्तशुदा उक्त सामग्री को राजसात करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रा0पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु तलब किया गया। अप्रार्थी स्वंय द्वारा उपस्थित होकर जवाब प्रा0पत्र व लिखित बहस प्रस्तुत की गई ।

बहस सुनी गई । पेरोकार रसद द्वारा दौराने बहस व्यक्त किया कि प्रवर्तन स्टाफ घरेलू गैस सिलेंडरो व अन्य सामग्री के अवैध व्यवसायिक उपयोग रोकने के लिये जांच हेतु पंहुचे मौके पर योगेश भाटिया उपस्थित मिले जिन्होने स्वंय को मकान मालिक का पुत्र बताया। वक्त जांच तलाशी लेने पर 19 घरेलू एलपीजी सिलेण्डर एचपीसीएल क0 व 02 गैस भरने की मोटर पाई गई। 19 घरेलू एलपीजी सिलेण्डर एचपीसीएल क0 व 02 गैस भरने की मोटर को राजसात किया जाकर मैसर्स झालावाड़ एचपी गैस सर्विस,झालावाड़ के मैनेजर अब्दुल सलीम की सुपुर्दगी में दिया गया। जांच से स्पष्ट है कि अनुदानित घरेलू गैस का अवैध व्यवसायिक उपयोग करके LPG(REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लाज 3(1) (सी), 4(1)(ए) की स्पष्ट अवहेलना की है। आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 की धारा 6 ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जप्तशुदा उक्त सामग्री को राजसात किया जावे। इस पर अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब प्रा0पत्र व लिखित बहस की पुष्टी करते हुए कथन किया कि जब्त 19 में से 16 सिलण्डर खाली थे जो पडोसियों द्वारा रखे गये थे पडोसी मजदूर वर्ग के हैं जो मजदूरी करने जाते हैं तथा गेस ऐजेन्सी द्वारा अप्रार्थी के मकान पर ही सिलेण्डर की डिलीवरी करदी जाती है। अप्रार्थी द्वारा रिफलिंग का कार्य नही किया जा रहा था। प्रकरण से मुक्त किया जाकर जब्त सिलेण्डर को वापस अप्रार्थी को दिलवाया जावे।

हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। प्रवर्तन स्टाफ द्वारा जो कार्यवाही अप्रार्थी के मकान पर की गई वह घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरूपयोग व अवैध व्यवसायिक उपयोग को रोकने के लिये की गई है उक्त कार्यवाही के दौरान 19 घरेलू एलपीजी सिलेण्डर एचपीसीएल क0 व 02 गैस भरने की मोटर रखे मिलना स्पष्ट है। अप्रार्थी द्वारा उक्त गैस सिलेण्डर जो कि ज्वलनशील पदार्थ है के अलावा गैस भरने की मोटर इलेक्ट्रॉनिक अपने मकान पर क्यों रखे गये थे जबकि उक्त सामान के उपयोग से किसी भी तरह की दुर्घटना की आशंका जाहिर है, अपने पक्ष के समर्थन में अप्रार्थी द्वारा कोई तथ्य या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है और जो गैस कनेक्शन डायरी की छाया प्रतियां प्रस्तुत की गई है वे भी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासियों की ना होकर अन्यत्र निवासरत व्यक्तियों की हैं। इस प्रकार यह साबित है कि अप्रार्थी द्वारा अनुदानित घरेलू गैस सिलेण्डर व व्यावसायिक गैस सिलेण्डर से अवैध गैस रिफलिंग कार्य में अवैध व्यावसायिक उपयोग किया जाता है। उक्तानुसार प्रवर्तन स्टाफ द्वारा जो कार्यवाही की गई है वह सही है। अप्रार्थी का यह कृत्य LPG(REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लाज 3(1) (सी). 4(1)(ए) का स्पष्ट उल्लघंन है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा गैस सिलेण्डर न0 437941,29889,277436,66571,762215,888989,166952,374857,47935,44725,80509,112445,772743,185766 ,221170,220697,11025,913831,284772 एचपी क0, को राजसात किया जाता है– जिला रसद अधिकारी उक्त राजसात सिलेण्डर/मोटर का विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रिया अनुसार निस्तारण कर प्राप्त राशि को राजकोष में जमा करावें। निर्णय की प्रति पालनार्थ जिला रसद अधिकारी झालावाड़ को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.09.2020 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निकया गोहाएन)
जिला कलक्टर
झालावाड़

जिला कलक्टर
झालावाड़